रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052022-235661
CG-DL-E-10052022-235661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2036] नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944
No. 2036] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

का.आ. 2141(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2182 (अ), तारीख 7 जून, 2021, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 8 जून, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य 180 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिला के दक्षिण-पश्चिम के लगभग 63 किलोमीटर में अवस्थित है और यह 74°.17' से 74°.79' उ और 34°.55' से 34°.60' पू के बीच में और समुद्र स्तर से ऊपर 2400-4300 मीटर तक उच्च श्रेणी में स्थित है;

और, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ:147 तारीख 14 मार्च, 1987 के द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था जो उत्तर में झेलम घाटी वन संभाग (बारामूला), दक्षिण में पूंछ और पीर-पंचल के वन संभाग से घिरा हुआ है, पूर्व में तांगमार्ग वन संभाग के दरंग और बद्राकोट वनों के ग्राम और पश्चिम में बाबा रेशी ग्राम और तांगमार्ग वन संभाग से सटा हुआ है;

और, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य और इसके समीपवर्ती वन क्षेत्र को इसके स्थानिक वन्यजीव के कारण संरक्षण के लिए प्राथमिकता दी जाती है, इस क्षेत्र में लुप्तप्राय और स्थानिक हिमालय कस्तूरी मृग (*मोस्चुस क्रसोगेटर*) के अलावा अन्य जीवजंतु प्रजातियों की व्यवहार्य जनसंख्या का वास है, यह क्षेत्र प्रमुख आर्थिक, जेनेटिक और औषधीय मूल्य वाले दुर्लभ वनस्पति की संख्या और विविधता में भी समृद्ध है और यह क्षेत्र इन जंगली वनस्पति और जीवजंतु प्रजातियों के प्रजनन, संरक्षण और स्थायीकरण के लिए "जीन पूल" का प्रतिनिधित्व करता है;

और, संरक्षित क्षेत्र विविध प्रजातियों जैसे हिमालयन कस्तूरी मृग *(*मोस्चुस क्रसोगेटर*),* सामान्य तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्स*), एशियाई काला भालू (*उर्सस थिबेटानस*), हिमालयन ब्राउन भालू (*उर्सस आर्कटोस*), लाल लोमड़ी (*वल्पेस वल्पेस*), हिमालयन स्नो मुर्गा (*टेट्रोगल्लस हिमालयेंसिस*), कश्मीर फ्लाइंग गिलहरी (*इओग्लायकोम्यस फिम्ब्रिएटस),* हिमालयन मार्मोट *(मार्मोटा कौउडाटा)*, कश्मीर वैम्पायर (*मरगड्रेमा स्पेक्ट्रम*), हिमालयन लंगूर (*सेम्नोपिथेकस अजाक्स*), हिमालयन मोनल (*लोफोफोरस इंपेजानस*) और चकोर (*पुकरासिया मैक्रोलोफा*) आदि के साथ समृद्ध जीवजंतु और वनस्पति जैव-विविधता का वास है;

और, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र भारतीय उप-महाद्वीप के निचले समतल स्थानों के साथ जुड़ा हुआ है और कभी-कभी अभयारण्य में कुछ वन्यजीव प्रजातियों की उपस्थिति भी दिखाई देती है जैसे मुंजक (*मुंटियाकस मुंटजक*) जो सामान्यत: निचले स्थानों से प्रवास करते हैं और अफरवात, बोटापथरी, बाबारेशी, गुलर्मग बॉल आदि के क्षेत्रों में फेरोजपोरा के प्रवाही नाला क्षेत्र कस्तूरी मृग की बृहत् संख्या दिखाई देती है। इसलिए, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य को अति लुप्तप्राय कस्तूरी मृग के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए वर्ग 1987 में मैन एवं बायोस्फियर रिज़र्व से अभ्युत्थान किया गया था;

और, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य की वनस्पति में समूहों जैसे ब्लू पाइन, सिल्वर पाइन वन, बॅर्च, उप-तुंग क्षेत्र के वन, अल्पाइन वन का प्रतिनिधित्व करता है। वन्यजीव अभयारण्य में कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां कैल (*पाइनस वाल्लिची*), *(पिसिया स्मिथिअना),* येव (*टक्सस बक्केटा*), मैपल (*अकेर केइसम*), हॉर्स चेस्ट-नट (*ऐस्कुलुस इंडिका*), जुनिपेरस कोम्मुनिस, बेतुला यूटीलिस विद्यमान है। झाड़ियों में इंडिगोफेरा हेटेरान्था, रोसा वेब्बिना, *वेबरनम ग्रांडिफ्लोरस, स्किमिया लावेरेओला, प्रिरमुला इल्लिप्टिका, पोटेंटिल्ला गेलिडा, कोरयिडालिस्कोरनुटा, गेन्टिअन वेनुस्टा, अनेमोने ओबतुसिलोबा, एक्यूइलेगिया निवालेस, पोलयगोनुम अफ्फिने, पी.अलपिनुम, रूमेक्स एकेटोसाल* शामिल हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र का जलग्रहण क्षेत्र, कश्मीर प्रांत की प्रसिद्ध झेलम नदी के स्त्रोत के अलावा, संरक्षित क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों ग्रामों के लिए पेयजल और सिंचाई के जल का स्त्रोत है। फेरोज़पोरा नाला की सहायक नदियां हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर परियोजना को चलाने के लिए प्रसिद्ध झेलम नदी को जलग्रहण क्षेत्र प्रदान करती है जो कि दक्षिणी भाग पर संरक्षित क्षेत्र के साथ बहती है;

और, क्षेत्र प्रसिद्ध घास के मैदान, चट्टानी प्रपात, घने बिर्च वन और बर्डवॉचर के लिए वास के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थानों में से एक है;

और, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना उपर्युक्त पैरा में विनिर्दिष्ट किया गया हैं, को, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में जिला बारामूला के गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा के चारों ओर शून्य (0) से 4.1 किलोमीटर तक विस्तारित, क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 62.2 वर्ग किलोमीटर के साथ शून्य (0) से 4.1 किलोमीटर तक विस्तृत है और विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार निम्न रूप से है:

दिशा	विस्तार (किलोमीटर)
उत्तर	4.1
उत्तर-पूर्व	2.11
पूर्व	0.00
दक्षिण-पूर्व	2.48
दक्षिण	0.05
दक्षिण –पश्चिम	0.012
पश्चिम	0.012
उत्तर-पश्चिम	2.4

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का 'शून्य' विस्तार पूर्वी भाग की ओर प्रस्तावित है क्योंकि यह गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य से युक्त फिरोजपुरा जल-विभाजक से जुड़ा है जो भौगोलिक रूप से ऊंचे पहाड़ों, चोटियों और हिमनदों जैसी भूगर्भीय विशेषताओं से विभाजित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन को गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिणी भाग की ओर 0.05किलोमीटर, दक्षिण-पश्चिमी भाग की ओर 0.012किलोमीटर और पश्चिमी भाग पर 0.012 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है क्योंकि यह क्षेत्र वर्ष भर बड़े पर्यटकों के आने के साथ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ इन भागों पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा संभव नहीं है।

(2) गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3)सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–IIक, उपाबंध-IIख** और **उपाबंध-IIग** के रूप में संलग्न है।

(4) गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) यहां कोई ग्राम/उपनगर नहीं है जो कि गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) संघ राज्यक्षेत्र सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, संघ राज्यक्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे संघ राज्यक्षेत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(x) नगरपालिका;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

(10) आंचलिक महायोजना और किसी भी नई विकासात्मक क्रियाकलापों का विचाराधीन अनुमोदन पैरा 6 के उप पैरा (3) और (4) में निर्दिष्ट प्रावधानों द्वारा नियमित होगा।

3. **संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** संघ राज्यक्षेत्र की सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैरा-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या कोई अन्य विधि फिलहाल लागू है कि तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास हानि पहुंचाने वाले विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन संघ राज्यक्षेत्र विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-विकास और पारिस्थितिकी-शिक्षा पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं होगी।

IndiaCode

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गोदावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त ,2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।

6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
9.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	प्रतिषिद्ध।
10.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
11.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुमत नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनकी भूमि में उनके उपयोग के लिए स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए भवन उपविधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप, विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम किए जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या संघ राज्यक्षेत्र के अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों और दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल अथवा बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग हेतु निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	विनयमित एवं सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरों सहित कुटीर उद्योग आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को शामिल करके एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करती है, अर्थात्:

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	कलेक्टर/उपायुक्त, बारामूला	अध्यक्ष;
2.	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
3.	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
6.	संभागीय वन अधिकारी, तंगमार्ग	सदस्य;
7.	वन्यजीव वार्डन, उत्तर संभाग	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक होगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएंगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्यकलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

IndiaCode

[फा. सं. 25/22/2020-ईएसजेड]

डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध - I

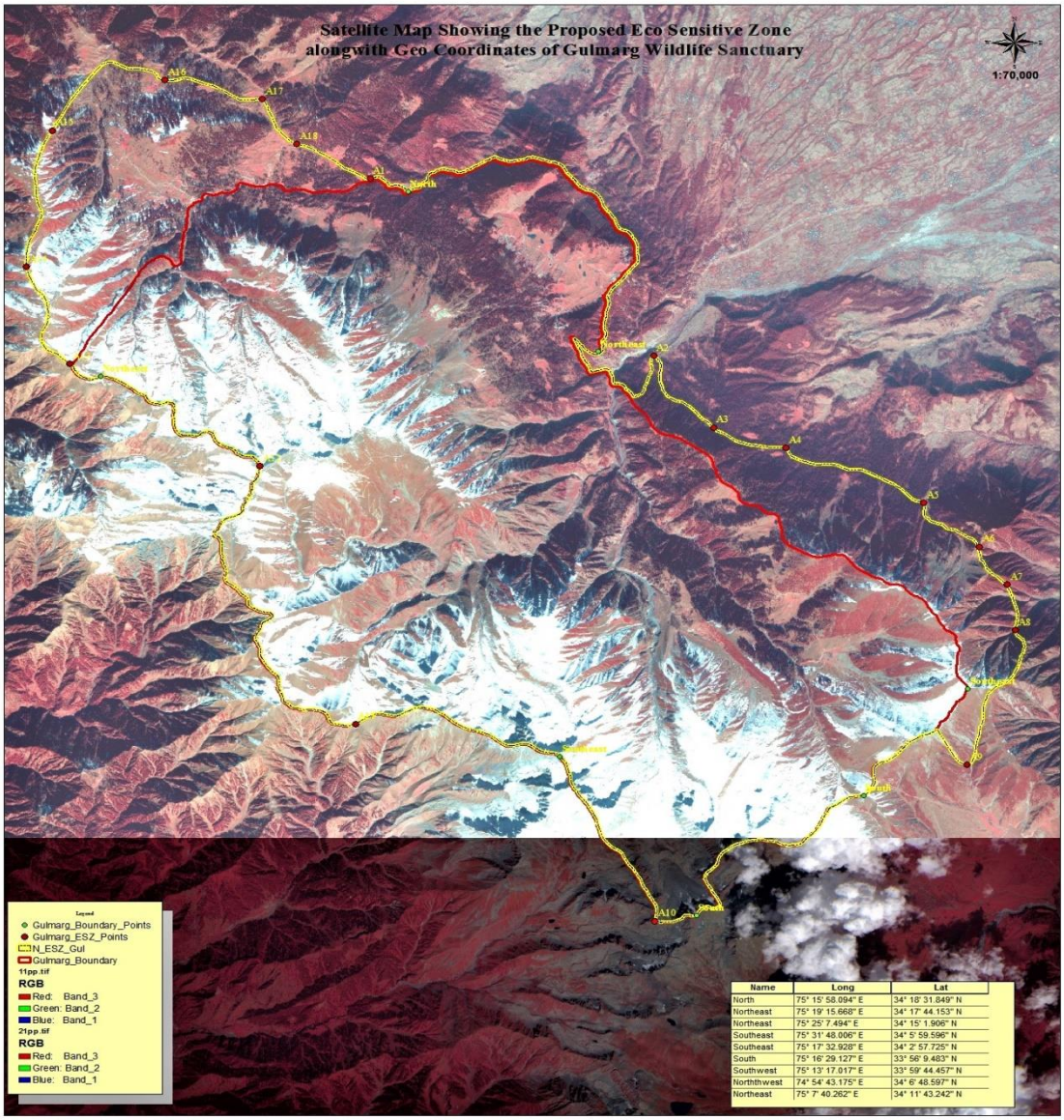
गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा विवरण

नाम	अक्षांश	देशांतर	संरक्षित क्षेत्र से दूरी (मीटर)	टिप्पणी
ए15	34° 5' 13.424" उ	74° 15' 39.248" पू	3700	चारमरगी, को 8/जी
ए16	34° 5' 54.957" उ	74° 17' 17.635" पू	300	वन क्षेत्र, को 8/जी
ए18	34° 5' 3.402" उ	74° 19' 14.783" पू	1100	बंदीबाला कोल, को 22/जी
ए1	34° 4' 35.755" उ	74° 20' 19.727" पू	50	नींगली नाला
ए3	34° 1' 13.423" उ	74° 25' 24.017" पू	600	को 60
ए9	33° 56' 38.773" उ	74° 29' 9.008" पू	1200	अल्पाइन चरागाह, टोशा मैदान का ऊपरी
ए10	33° 54' 29.597" उ	74° 24' 35.135" पू	0	पीरपंजल पास
ए13	34° 2' 2.483" उ	74° 15' 56.204" पू	0	पोशपथरी पीर पंजल पास
ए14	34° 3' 21.847" उ	74° 15' 16.882" पू	2200	मोहर दर पीर पंजल पास
ए2	34° 2' 11.948" उ	74° 24' 30.717" पू	1200	गगरीबल, को 59
ए5	34° 0' 12.615" उ	74° 28' 29.770" पू	2000	वन क्षेत्र को 65, कनजल पथरी
ए6	33° 59' 37.164" उ	74° 29' 18.974" पू	1800	वन क्षेत्र, को 32/एस, कंजा कोल

ए8	33° 58' 28.858" उ	74° 29' 51.207" पू	11200	सूगन वन, को 28/एस
ए7	33° 59' 6.326" उ	74° 29' 43.533" पू	1500	खाग वन, को 28/एस
ए4	34° 0' 57.117" उ	74° 26' 28.136" पू	1500	को 64, वन क्षेत्र
ए12	34° 0' 39.692" उ	74° 18' 44.075" पू	0	पीरपंजल पास
ए17	34° 5' 40.167" उ	74° 18' 44.254" पू	2100	वन क्षेत्र, नेवा, को 9/जी
ए11	33° 57' 9.549" उ	74° 20' 10.000" पू	0	पीरपंजल पास

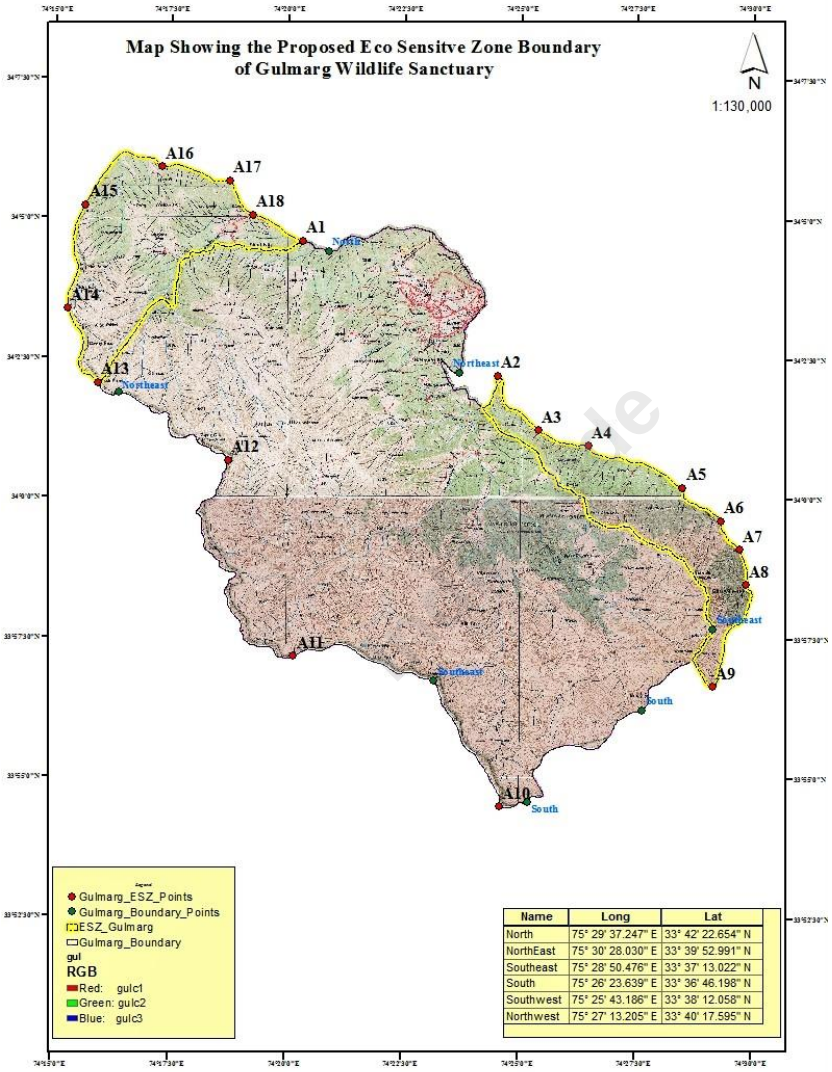
उपाबंध -IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सैटेलाइट मानचित्र



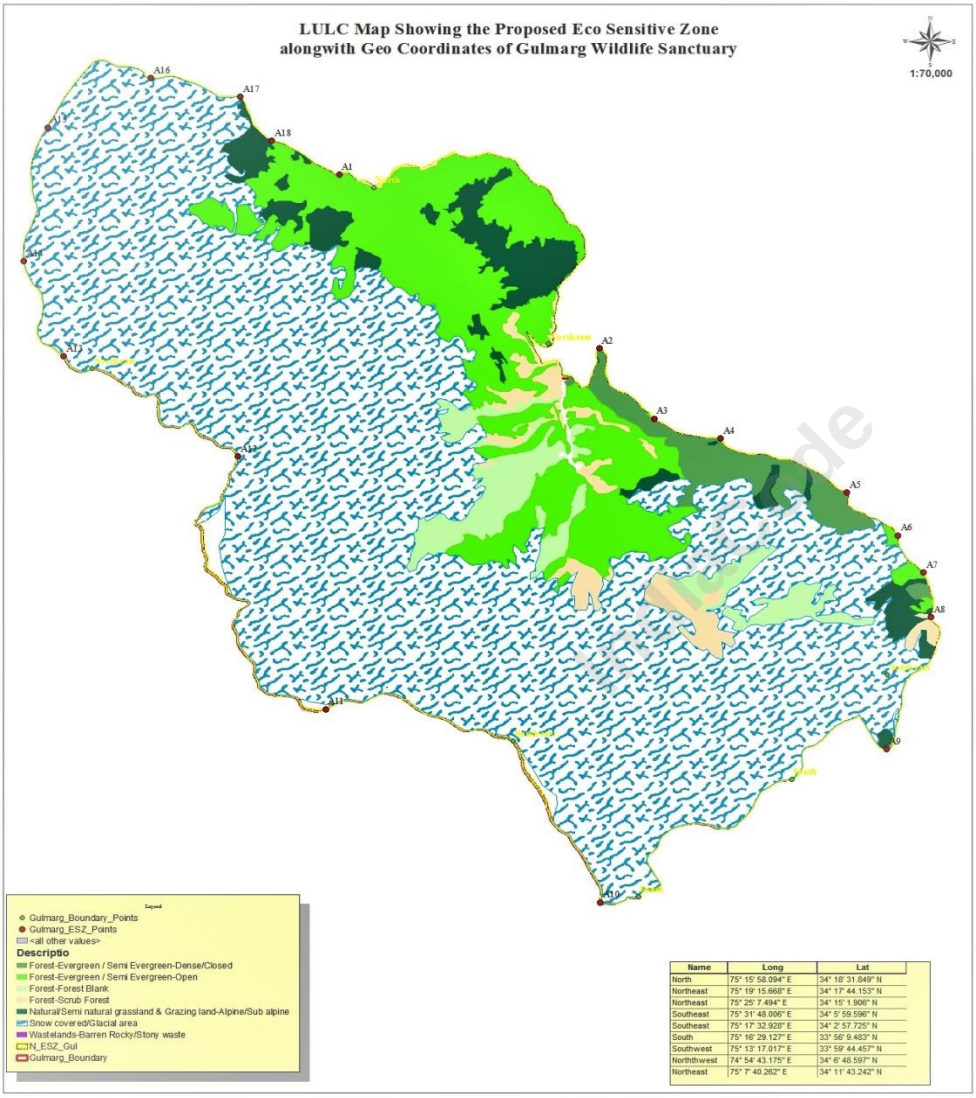
उपाबंध -IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



उपाबंध -IIग

गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग भूमि कवर मानचित्र



उपाबंध -III

सारणी क: गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	दिशा	देशांतर	अक्षांश
1.	उत्तर	75^0 15’ 58.094” पू	34^0 18’ 31.849” उ
2.	उत्तर-पूर्व	75^0 19’ 15.668” पू	34^0 17’ 44.153” उ
3.	उत्तर-पूर्व	75^0 25’ 7.494” पू	34^0 15’ 1.906” उ
4.	दक्षिण-पूर्व	75^0 31’ 48.006” पू	34^0 5’ 59.596” उ

5.	**दक्षिण-पूर्व**	75^0 17’ 32.928” पू	34^0 2’ 57.725” उ
6.	**दक्षिण**	75^0 16’ 29.127” पू	33^0 56’ 9.483” उ
7.	**दक्षिण-पश्चिम**	75^0 13’ 17.017” पू	33^0 59’ 44.457” उ
8.	**उत्तर-पश्चिम**	74^0 54’ 43.175” पू	34^0 6’ 48.597” उ
9.	**उत्तर-पूर्व**	75^0 7’ 40.262” पू	34^0 11’ 43.242” उ

सारणी ख: गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

क्र.सं	**दिशा**	**अक्षांश**	**देशांतर**	**संरक्षित क्षेत्र सीमा (किलोमीटर) से दूरी**
1	उत्तर	34°.4' 33.683"उ	74°.20' 17.730" पू	4.1
2	उत्तर-पूर्व	34°.4' 46.631"उ	74°.23' 8.374" पू	1.1
3	पूर्व	34°.0' 1.155"उ	74°.26' 24.124" पू	0.050
4	दक्षिण-पूर्व	33°.58'41.316"उ	74°.28' 41.559" पू	2.48
5	दक्षिण	33°.54'29.485"उ	74°.24' 35.532" पू	0.050
6	दक्षिण-पश्चिम	33°.56'43.901"उ	74°.23' 10.517" पू	0.012
7	पश्चिम	33°.59'42.931"उ	74°.18' 4.814" पू	0.012
8	उत्तर-पश्चिम	34°.2' 1.422"उ	74°.15' 58.890" पू	2.4

उपाबंध - IV

की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्रः

1. बैठको की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृतः (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्सतुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्त्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2022

S.O. 2141(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2182 (E), dated the 7th June, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 8th June, 2021;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in respect of the said draft notification have been considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Gulmarg Wildlife Sanctuary is spread over an area of 180 square kilometers, located at about 63 kilometers to the South-West of District Baramulla in Jammu and Kashmir and it is situated between 74°.17' to 74°.79' N and 34°.55' to 34°.60' E and the altitude ranges from 2400-4300 meters above mean sea level;

AND WHEREAS, the Gulmarg Wildlife Sanctuary was declared as a Wildlife Sanctuary *vide* notification number SRO: 147 dated the 14th March 1987 surrounded by Jhelum Valley Forest Division (Baramulla) in North, forest division of Poonch and Pir-Panchal in South, flanked by village of Drang and Badrakoot forests of Tangmarg forest division in East and Baba Reshi village and Tangmarg forest division in West;

AND WHEREAS, the Gulmarg Wildlife Sanctuary and its adjacent forest area are given priority for protection purposes due to its endemic wildlife, the area harbours viable population of the endangered and endemic Himalayan musk deer (*Moschus crysogater*) besides other faunal species, the area is also rich in number of rare and variety of flora with great economic, genetic and medicinal value and the area represents "gene pool" for propagation, protection and perpetuation of these wild floral and faunal species;

AND WHEREAS, the protected area is an abode of rich faunal and floral bio-diversity with varied species like endemic Himalayan musk deer *(Moschus crysogater),* common leopard (*Panthera pardus),* Asiatic black bear (*Ursus thibetanus),* Himalayan brown bear (*Ursus arctos),* red fox (*Vulpes vulpes*), Himalayan snow cock (*Tetraogallus himalayensis*), Kashmir flying squirrel (*Eoglaucomys fimbriatus),* Himalayan marmot *(Marmota caudate),* Kashmir vampire *(Mergaderma spectrum),* Himalayan langur (*Semnopithecus ajax*), Himalayan monal (*Lophophorus impejanus*) and Chakoor (*Pucrasia macrolopha*) etc;

AND WHEREAS, the area of Gulmarg Wildlife Sanctuary is connected with the lower planes of Indian sub-continent and sometimes presence of certain wildlife species like barking deer (*Muntiacus muntjak)* is also visible in the sanctuary that usually migrate from the lower planes and a large numbers of musk deer are seen in the gushing nalla of Ferozpora in areas of Afferwat, Botapathri, Babareshi, Gulmarg bowl etc. Therefore, Gulmarg Wildlife Sanctuary was upgraded from Man and Biosphere Reserve in the year 1987 to ensure survival of highly endangered musk deer;

AND WHEREAS, the flora of the Gulmarg Wildlife Sanctuary is represented by communities such as Blue Pine, Silver Fir Forest, Birch, Sub-alpine Forest, Alpine pasture. Some of the notable species present in the Wildlife Sanctuary are kail (*Pinus wallichi*), (*Picea smithiana*), yew (*Taxus baccata*), maple (*Acer caesum*), horse chest nut (*Aesculus indica*), *Juniperus communis, Betula utilis*. The under story shrub includes *Indigofera heterantha, Rosa webbina, Viburnum grandiflors, Skimmia lawereola, Primula elliptica, Potentilla gelida, Coryidalis cornuta, Gentian venusta, Anemone obtusiloba, Aquilegia nivales, Polygonum affine,* P.*alpinum, Rumex acetosal;*

AND WHEREAS, the catchments of the protected area are source of drinking and irrigation water to dozens of villages falling adjacent to the protected area, besides feeding source to the famous River Jhelum of Kashmir Province. The tributary of Ferozpora Nalla provides catchment to famous River Jhelum to run Hydro-Electric Power projects which flows along the protected area on the Southern side;

AND WHEREAS, the area is one of the renowned tourist destinations for its famous meadows, rocky cliffs, dense birch forests and a home for bird watcher;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Gulmarg Wildlife Sanctuary which are specified in above paragraphs as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero (0) to 4.1 kilometers around the boundary of the Gulmarg Wildlife Sanctuary, in Baramulla District in the Union territory of Jammu and Kashmir as the Gulmarg Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 62.2 square kilometres with an extent of zero (0) to 4.1 kilometres around the boundary of Gulmarg Wildlife Sanctuary and the extent of Eco-sensitive Zone in different directions are as follows:

Direction	**Extent (**kilometers**)**
North	4.1
North-East	2.11
East	0.00
South-East	2.48
South	0.05
South-West	0.012
West	0.012
North-West	2.4

IndiaCode

The 'zero' extent of Eco-sensitive Zone is proposed towards eastern side as it adjoins the Ferozpura Watershed comprising of Gulmarg Wildlife Sanctuary which is bifurcated geographically by geological features like high mountains, peaks and glaciers. The Eco-sensitive Zone is kept 0.05 kilometers towards Southern Side, 0.012 kilometers towards South-Western side and 0.012 kilometers on Western Side of the Gulmarg Wildlife Sanctuary because the area is well known tourist spot with large tourist footfalls all around the year and there is no scope of Eco-sensitive Zone extent possible on these sides.

(2) The boundary description of Eco-sensitive Zone around Gulmarg Wildlife Sanctuary is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.

(4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Gulmarg Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III.**

(5) There is no village/township which fall within the proposed Eco-sensitive Zone of Gulmarg Wildlife Sanctuary.

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The Union territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the Union territory Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forests;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Pollution Control Board;

(x) Municipal;

(xi) Panchayti Raj; and

(xii) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified in sub-paras (3) and (4) of paragraph 6.

3. Measures to be taken by the Union territory Government.- The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union territory Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or any other law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Union territory Department of Tourism in consultation with the Union Territory Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central

Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, as amended from time to time, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the Union territory Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) and the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

IndiaCode

3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited.
10.	Use of polythene bags.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union territory Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union territory Acts for the time being in force and the rules made there under.

India Code

15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, and guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
25.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

IndianCode

37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification. -For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Collector/Deputy Commissioner, Baramulla	Chairman;
2.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir	Member;
3.	One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of environment including heritage conservation to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir.	Member;
4.	A Representative of Jammu and Kashmir Biodiversity Council	Member;
5.	Regional Officer, Jammu and Kashmir State Pollution Control Board	Member;
6.	Divisional Forest Officer, Tangmarg	Member;
7.	Wildlife Warden, North Division	Member-Secretary.

IndiaCode

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the Union territory Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union territory as per performa appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7.Additional Measures.-The Central Government and Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8.Orders of Courts and Tribunals.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/22/2020-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Annexure- I

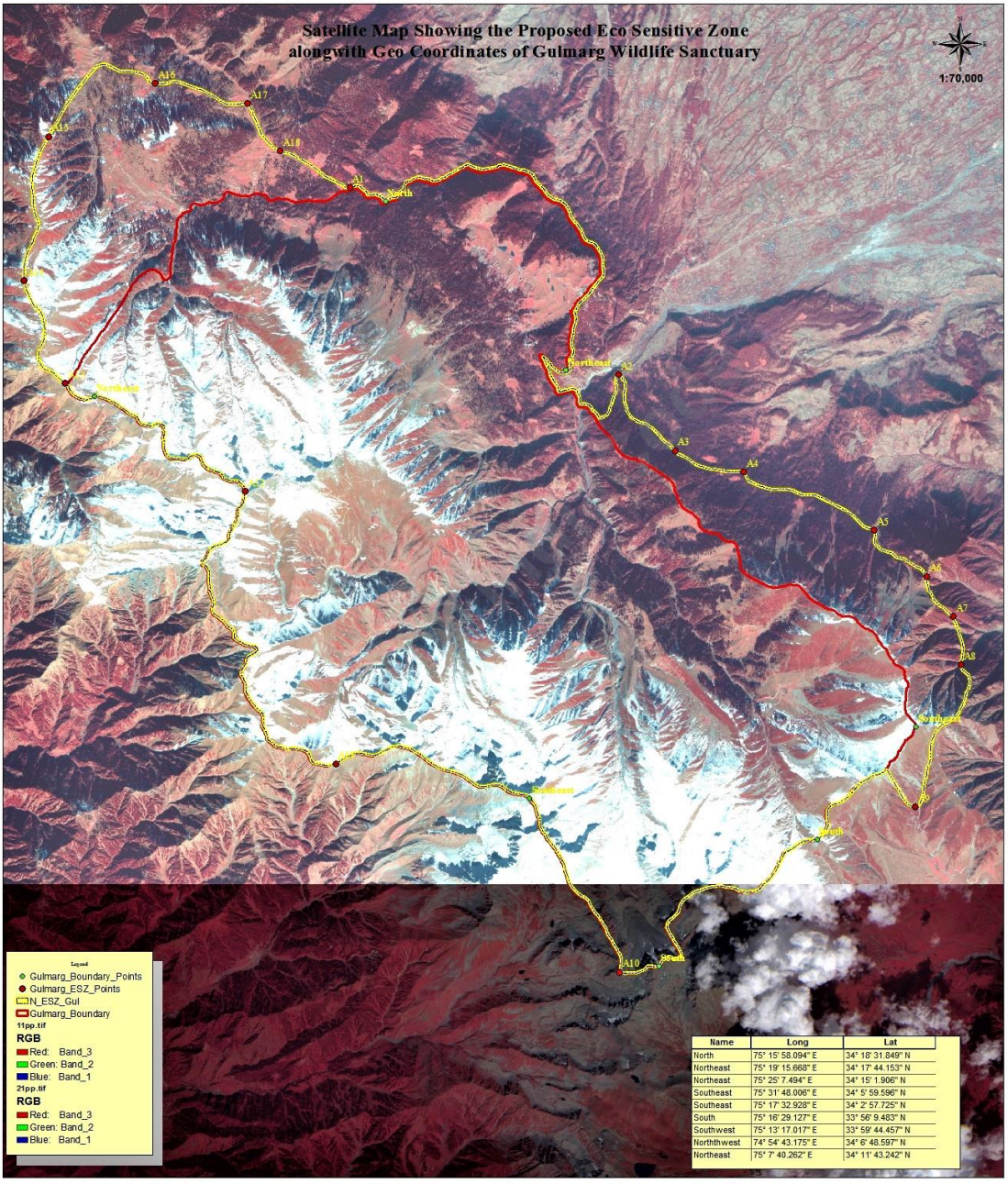
THE EXTENT AND BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND GULMARG WILDLIFE SANCTUARY

NAME	LATITUDE	LONGITUDE	DISTANCE FROM PA (meters)	REMARKS
A15	34° 5' 13.424" N	74° 15' 39.248" E	3700	Charmargi, Co 8/G
A16	34° 5' 54.957" N	74° 17' 17.635" E	300	Forest Area,Co 8/G
A18	34° 5' 3.402" N	74° 19' 14.783" E	1100	Bandibala Kol, Co 22/G
A1	34° 4' 35.755" N	74° 20' 19.727" E	50	Ningli Nalla
A3	34° 1' 13.423" N	74° 25' 24.017" E	600	co 60
A9	33° 56' 38.773" N	74° 29' 9.008" E	1200	Alpine Pasture, Top of Tosha Maiden
A10	33° 54' 29.597" N	74° 24' 35.135" E	0	Pirpanjal Pass
A13	34° 2' 2.483" N	74° 15' 56.204" E	0	Posh Pathri Pirpanjal Pass
A14	34° 3' 21.847" N	74° 15' 16.882" E	2200	Mohr Dar Pirpanjal Pass
A2	34° 2' 11.948" N	74° 24' 30.717" E	1200	Gagribal, co 59
A5	34° 0' 12.615" N	74° 28' 29.770" E	2000	Forest Area Co 65, Kanzalpathri
A6	33° 59' 37.164" N	74° 29' 18.974" E	1800	Forest area, Co 32/s, Kanza Kol
A8	33° 58' 28.858" N	74° 29' 51.207" E	11200	Sugan Forest, Co 28/s
A7	33° 59' 6.326" N	74° 29' 43.533" E	1500	Khag Forest, Co 28/s
A4	34° 0' 57.117" N	74° 26' 28.136" E	1500	co64, Forest Area
A12	34° 0' 39.692" N	74° 18' 44.075" E	0	Pirpanjal Pass
A17	34° 5' 40.167" N	74° 18' 44.254" E	2100	Forest Area, Newa, Co 9/G
A11	33° 57' 9.549" N	74° 20' 10.000" E	0	Pirpanjal Pass

IndiaCode

Annexure -II A

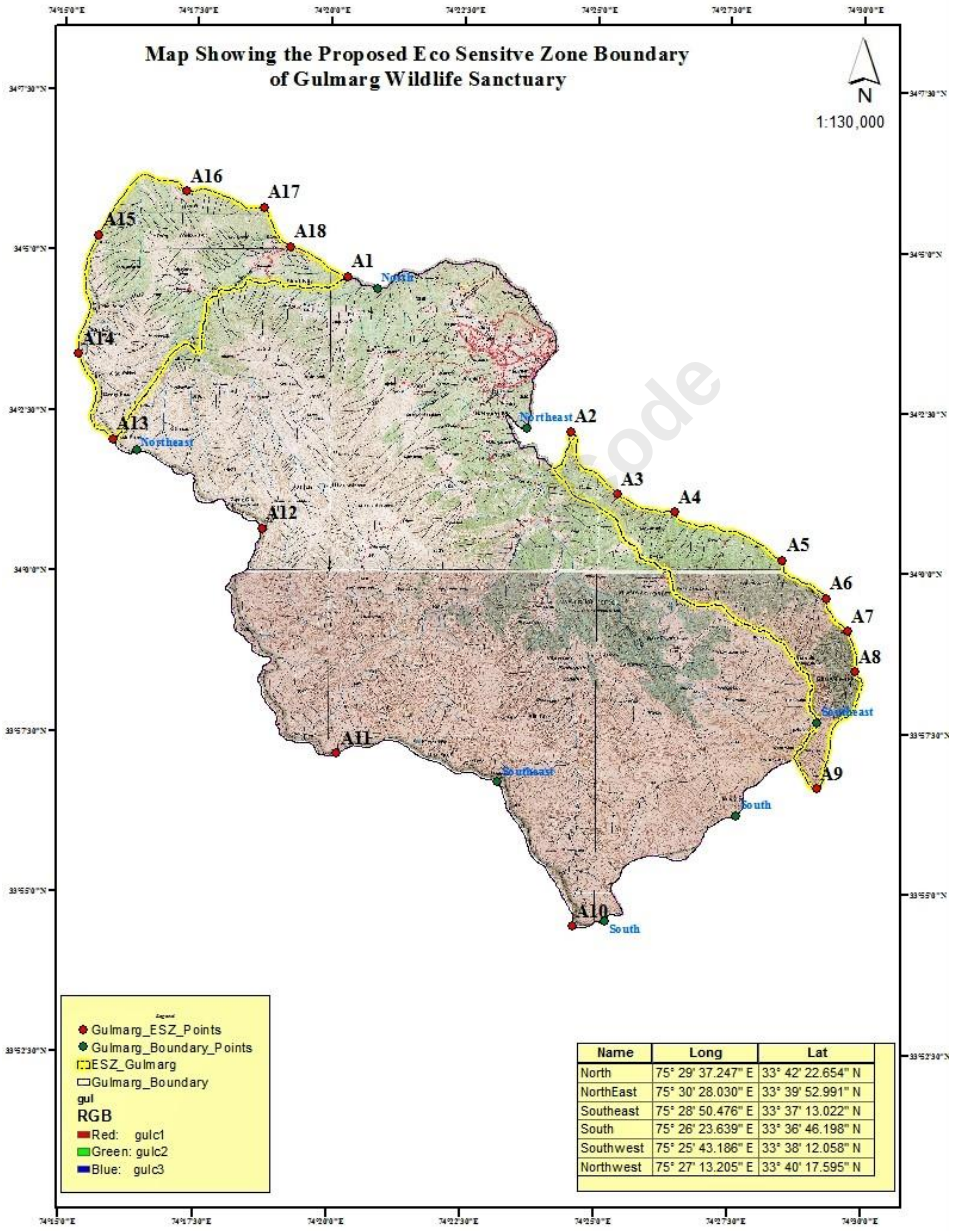
SATELLITE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND GULMARG WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



Name	Long	Lat
North	75° 15' 58.094" E	34° 18' 31.849" N
Northeast	75° 19' 15.668" E	34° 17' 44.153" N
Northeast	75° 25' 7.494" E	34° 15' 1.906" N
Southeast	75° 31' 48.006" E	34° 5' 59.596" N
Southeast	75° 17' 32.928" E	34° 2' 57.725" N
South	75° 16' 29.127" E	33° 56' 9.483" N
Southwest	75° 13' 17.017" E	33° 59' 44.457" N
Norththwest	74° 54' 43.175" E	34° 6' 48.597" N
Northeast	75° 7' 40.262" E	34° 11' 43.242" N

Annexure -II B

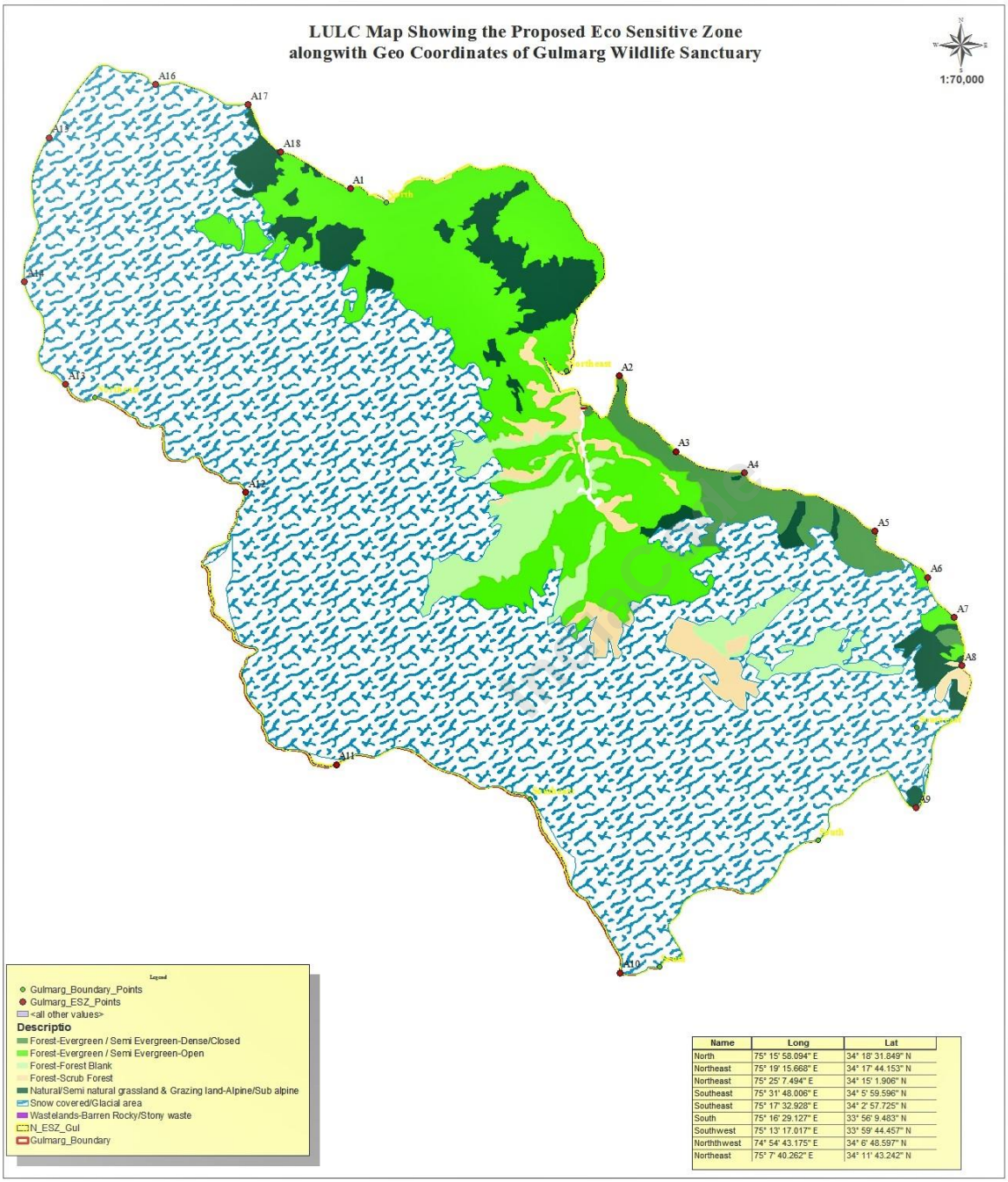
MAP OF GULMARG WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



Name	Long	Lat
North	75° 29' 37.247" E	33° 42' 22.654" N
NorthEast	75° 30' 28.030" E	33° 39' 52.991" N
Southeast	75° 28' 50.476" E	33° 37' 13.022" N
South	75° 26' 23.639" E	33° 36' 46.198" N
Southwest	75° 25' 43.186" E	33° 38' 12.058" N
Northwest	75° 27' 13.205" E	33° 40' 17.595" N

Annexure -II C

LAND-USE LAND-COVER MAP OF GULMARG WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE



Annexure -III

TABLE A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF THE GULMARG WILDLIFE SANCTUARY

S.No.	DIRECTION	LONGITUDE	LATITUDE
1.	**North**	75^0 15’ 58.094” E	34^0 18’ 31.849” N
2.	**North-East**	75^0 19’ 15.668” E	34^0 17’ 44.153” N
3.	**North-East**	75^0 25’ 7.494” E	34^0 15’ 1.906” N

4.	**South-East**	75^0 31’ 48.006” E	34^0 5’ 59.596” N
5.	**South-East**	75^0 17’ 32.928” E	34^0 2’ 57.725” N
6.	**South**	75^0 16’ 29.127” E	33^0 56’ 9.483” N
7.	**South-West**	75^0 13’ 17.017” E	33^0 59’ 44.457” N
8.	**North-West**	74^0 54’ 43.175” E	34^0 6’ 48.597” N
9.	**North-East**	75^0 7’ 40.262” E	34^0 11’ 43.242” N

TABLE B: TABLE SHOWING GEO-COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GULMARG WILDLIFE SANCTUARY

S. No	Direction	Latitude	Longitude	Distance from PA Boundary (kilometers)
1	North	34°.4' 33.683"N	74°.20' 17.730" E	4.1
2	North-East	34°.4' 46.631"N	74°.23' 8.374" E	1.1
3	East	34°.0' 1.155"N	74°.26' 24.124" E	0.050
4	South-East	33°.58' 41.316"N	74°.28' 41.559" E	2.48
5	South	33°.54' 29.485"N	74°.24' 35.532" E	0.050
6	South-West	33°.56' 43.901"N	74°.23' 10.517" E	0.012
7	West	33°.59' 42.931"N	74°.18' 4.814" E	0.012
8	North-West	34°.2' 1.422"N	74°.15' 58.890" E	2.4

Annexure -IV

Proforma of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.05.10 14:54:04 +05'30'